न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
62/2023	23.05.2023	12.05.2025
	बउनवान	

1. हुकमसिंह पुत्र कालिया जाति राजपूत निवासी बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. बबली देवी पत्नी श्री कुलदीप
2. ममता देवी पत्नी श्री प्रदीप
3. अजीत सिंह पुत्र राजकुमार
4. अनोप पुत्री सुल्तान
5. आरती पुत्री रणजीत
6. आशा पुत्री अमरसिंह
7. उदयसिंह पुत्र रामकुमार
8. उषा पुत्री रणजीत जातियान राजपूत निवासीयान बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर
9. कमलेश देवी पत्नी नरेश कुमार जाति मीणा
10. अमरसिंह पुत्र दीपचन्द जाति मीणा
11. कैलाश पत्रु भौरेलाल जाति चमार
12. कृष्णा पुत्री रामसिंह
13. खुशबू पुत्री गोरधन जाति चमार
14. गणपत पुत्र गोरधन जाति चमार
15. गीता पुत्री दीपचन्द जाति मीणा
16. गेगादेवी पत्नी रामसिंह जाति मीणा
17. चन्द्रभान पुत्र सोहनलाल जाति चमार
18. छोटा देवी पत्नी पृथ्वीसिंह जाति चमार
19. धनसीराम पुत्र रघुवीर जाति चमार
20. धनसीरा पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत
21. धारासिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति मीण
22. धारासिंह पत्रु पृथ्वीसिह जाति मीणा
23. नरेश पुत्र चन्दगीराम जाति चमार
24. नीरसिंह पुत्र रोशनलाल जाति मीणा
25. प्रकाश पुत्र मन्ना जाति मीणा

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

26. प्रियंका पुत्री पृथ्वीसिंह जाति मीणा
27. पवन पुत्री रणजीत जाति राजपूत
28. फूलाराम पुत्र भगवान जाति मीणा
29. बजरंग पुत्र रणजीत जाति राजपूत
30. बबलू पुत्र रोशनलाल जाति राजपूत
31. भगवानी पत्नी चंदगीराम जाति राजपूत
32. भूपसिह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत
33. भौरी पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत
34. मंगेज पुत्र सुल्तान जाति राजपूत
35. मदनलाल पुत्र झूथाराम जाति राजपूत
36. मनफूल पुत्र अमरसिह जाति राजपूत
37. मनीष पुत्र ओमप्रकाश जाति मीणा
38. महेश कुमार पुत्र रोशनलाल हिस्सा जाति मीणा
39. महावीर पुत्र मन्ना जाति मीणा
40. माडाराम पुत्र रघुवीर जाति चमार
41. मिश्रो देवी पत्नी रघुवीर जाति चमार
42. मिश्रो देवी पत्नी दीपचन्द जाति मीणा
43. मीरा पत्नी ओमप्रकाश जाति मीणा
44. मीरा पत्नी सोहनलाल जाति राजपूत
45. मोडी पत्रु भगवान जाति राजपूत
46. रगबीर पुत्र पृथ्वीसिंह जाती मीणा
47. रतीराम पुत्र दीपचन्द जाति मीणा
48. रमेश पुत्र सोहनलाल जाति राजपूत
49. राजकुमार पुत्र रघुवीर जाति चमार
50. राजेन्द्र पुत्र श्योचंद जाति चमार
51. राजबाला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति मीणा
52. राजेश पुत्र चिरंजी जाति मीणा
53. राजेश पुत्र चिरंजी जाति मीणा
54. रामावतार पुत्र रघुवीर जाति चमार
55. रीना पुत्र औमप्रकाश जाति मीणा
56. रोशनलाल पुत्र भगवान जाति मीणा
57. रोहिताश पुत्र रामसिह जाति मीणा
58. रोहिताश्व पुत्र भौरेलाल जाति चमार
59. लक्ष्मी पुत्री अमरसिह जाति राजपूत
60. लक्ष्मी पुत्री दीपचन्द जाति मीणा
61. लालाराम पुत्र कालिया जाति चमार
62. विक्रम पुत्र श्योचंद जाति मीणा
63. वीरसिंह पुत्र दीपचन्द जाति मीणा

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

64. शशी पत्रु रामसिंह जाति मीणा
65. शान्ति पत्नी श्योचन्द जाति चमार
66. शान्ति देवी पत्नी मोहनसिंह जाति राजपूत
67. शीलादेवी पत्नी मोहनसिह जाति राजपूत
68. सज्जन पुत्र सुल्तान जाति राजपूत
69. संतोष पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत
70. सुनिल पुत्र श्योचन्द जाति राजपूत
71. सुनीता पुत्री सोहनसिंह जाति राजपूत
72. सुनीता पुत्री पृथ्वीसिंह जाति मीणा
73. सुबेसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत
74. सुमन पुत्री चंदगीराम जाति चमार
75. सुमन पुत्री दीपचन्द जाति मीणा
76. समाकोर पुत्री दीपचन्द जाति मीणा
77. सरजीत पुत्र रघुवीर जाति चमार
78. सरबती पुत्री भगवान जाति मीणा
79. सुरेश पुत्र चंदगीराम जाति चमार
80. सुरेश पुत्र रामसिंह जात मीणा
81. सरिता पुत्री चदगीराम जाति चमार
82. सरोज पुत्री दीपचन्द जाति मीणा
83. सोमपाल पुत्र चंदगीराम जाति चमार
84. हुकमसिंह पुत्र रामसिह जाति मीणा
85. हरिसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत
86. हवासिंह पुत्र सोहनलाल जाति चमार
87. हवासिंह पुत्र दीपचन्द जाति मीणा
88. हंसराज पुत्र अमरसिह जाति राजपूत
89. हंसराज पुत्र रामसिंह जाति मीणा
90. हीरालाल पुत्र भौरेलाल जाति चमार
91. कैलाश पुत्र भौरेलाल निवासीयान बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
92. तहसीलदार मुण्डावर जरिये लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
93. उपपंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर

—: अप्रार्थीगण

94. तेजसिंह पुत्र कालिया
95. अजीत सिंह पुत्र कालिया
96. भागीरथ सिह पुत्र कालिया
97. मदनसिंह पुत्र कालिया जातियान राजपूत निवासीयान बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तरबीबी अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

श्री रामावतार चौधरी –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री गंगाराम पटेल –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उक्त अनुवान का वाद विस्तृत वाकेआत के साथ अदालत हाजा मे पेश किया जा रहा है। जिसमें वाद को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है। तथा वाद काबिल डिकी है।
2. यह है कि पेश कर्दा दस्तावेजात् से प्रार्थी का केस प्रायमा पैसाई आयद वो साबित होता है। ना पूर्ति होने वाली क्षति वादी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष मे है।
3. यह है कि खसरा नं0 642 रकबा 0.95 है०, खसरा नं0 667 रकबा 0.80 है०, खसरा नं० 637 रकबा 0.08 खसरा नं0 638 रकबा 0.11 है० खसरा नं0 639 रकबा 0.18 खसरा नं0 640 रकबा 0.17 है० खसरा नं0 641 रकबा 0.30 है० है। जो वाके ग्राम बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 91 के कब्जे काश्त सामलाती खातेदारी की आराजी है राजस्व रिकॉर्ड में सामलाती में खातेदारी का अंकन तथा राजस्व लगान सामलात में जमा कराते आ रहे है तथा सभी कोशेयर अपने अपने हिस्से अनुसार सामलात में काश्त कर रहे है मौके पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है।
5. यह है कि उक्त वाद में मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है जो ग्रामीण परिवेश के है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे है अपने हिस्से की आराजी को काश्त कर रहे है तथा वाद मे असल अप्रार्थीगण जो मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण से रंजिश रखते है और मिन प्रार्थी को सामलाती भूमि में काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है आये दिन मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को अपने हिस्से से बेदखल कर बेचान करने व निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है जिस कारण मिन प्रार्थी का सामलात में काश्त करना नामुमकिन हो रहा है। इसलिए दावा तकासमा पेश करना लाजिम आया है।
6. यह है कि मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के खातेदारी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है और सामलाती आराजी पर हर कोशेयर का सामलात मे हर इंच इंच पर कब्जा कानूनन है और अगर असल अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों मे कामयाब हो गये तो मिन मिन प्रार्थी व

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तरतीबी अप्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है जबकि वाद मे प्राईमा फैसाई केस व सुविधा का संतुलन बहक मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। जिस हेतु मिन मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण असल अप्रार्थी को पांबद करानें के अधिकारी है।

7. यह है कि मिन मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण उक्त सामलाती आराजी का मुताबिक आराजी राजस्व रिकॉर्ड के बाद कुरेजात के अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स आराजी का बॅटवारा कराने के अधिकारी हैं।

8. यह है कि दिनांक 15.05.2023 को मिन प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहे तो असल अप्रार्थीगण वगैरह एक साथ आयें और मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर बेचान करने व निर्माण कार्य करने की धमकी देने लगे बडी मुश्किल से वाका टला बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखासमत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया है।

9. यह है कि दावा हाजा हेतु बिनायदावी वो बिनायमुखासमत दिनांक 15.05. 2023 को पैदा होकर अन्दर मियाद पेश है।

10. यह है कि यदि वाकई में अप्रार्थीगण अपनें नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार रुपयों में आंका जाना सम्भव नहीं होगा। इसलिए अप्रार्थीगण को जरियें स्थाई निषेधाज्ञा हु० ई० दवामी से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें की वो बिना तकासमा कराये बाहमी बँटवारें मे वादीगण के हिस्से खसरा नं0 642 रकबा 0.95 है०, खसरा नं0 667 रकबा 0.80 है० किता 2 रकबा 1.75 है० का हिस्सा 1/72 व खसरा नं0 637 रकबा 0.08 खसरा नं0 638 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 639 रकबा 0.18, खसरा नं0 640 रकबा 0.17 है० खसरा नं0 641 रकबा 0.30 है० किता 5 कुल रकबा 0.84 है० का हिस्सा 1/16 वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर में मदाखलत पैदा ना करें। ना ही इसको रहन बैय हिबा से मुंतकिल करे।

जवाब प्रार्थना पत्र ओदश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाए दी० व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मिन अप्रार्थी सं० 1, 2, 73 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थी का पेश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 3 बाबत आराजी है जो वाके ग्राम बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है सही है स्वीकार है।

4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 इतना स्वीकार है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त की आराजी है। मिन अप्रार्थीगण मुताबिक रिकोर्ड काबिज काश्तकार है। तथा उक्त आराजी का अर्सा दराज से बंहामी बंटवारा कर रखा है तथा अपने बंहामी बंटवारे के अनुसार अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है मौके पर कोई विवाद आराजी पर नहीं है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 इतना स्वीकार है कि उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त की आराजी है। बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का बुजुर्गान के समय से बंहामी बंटवारा कर रखा है तथा बंहामी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है मौके पर कोई विवाद आराजी पर नहीं है। प्रार्थी ने निहायत झूठे व आधारहीन तथ्यों के आधार पर मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। इसलिये प्रार्थी पुनः बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 6 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 7 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का अर्सा दराज से बहामी बंटवारा हो रहा है तथा बहामी बंटवारे के आधार पर ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण काबिज है। इसलिये प्रार्थी अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का तकासमा कराने का अधिकारी है।

8. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 8 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का अर्सा दराज से बंहामी बंटवारा हो रहा है तथा अलग अलग काश्त हो रही है अलग अलग काबिज है। प्रार्थी ने दिनांक 15/05/2023 की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है प्रार्थी को दिनांक 15/05/2023 को कोई बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है।

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

9. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 9 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने दिनांक 15/05/2023 की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है प्रार्थी को दिनांक 15/05/2023 को कोई बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है।

10. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 10 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडली की ढाणी में स्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपसी सहमती से बटवारा कर काश्त कर रहे है। अप्रार्थी विवादित आराजी मे आये दिन आपसी सहमती हो रहे बटवारे की डोल को मिसमीनार कर रहे है। जब्रन प्रार्थी के हक हिस्से को कब्जा करना चाहते है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी द्वारा जब्रन निर्माण किये जाने की धमकी देते है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा आराजी पर जब्रन कब्जा नही किये जाने बाबत का निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी अपनी हरकतो से बाज नही आ रहे है। इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक पाबन्द किये जाने का श्रम करे।

अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि यह कहना सही है कि विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकाश्त दर्ज रिकोर्ड है और प्रार्थी व अप्रार्थी के आपसी बटवारे के अनुसार विवादित आराजी पर कब्जे के अनुरूप ही कृषि कार्य कर रहे है। अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी के हिस्से में आई आराजी पर जब्रर कब्जा नही करना चाहा है। अप्रार्थी शान्ति प्रिय व्यक्ति है, कानून की पालना करता है। कभी भी प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच में कोई विवादित आज दिनांक तक नही हुआ है। विवादित आराजी पर प्रार्थी जब्रन कोई निर्माण नही कर रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगणा को परेशान करने की नियत से, मंनगढत, मिथ्या, बनावटी कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी में प्रार्थी सहखातेदार है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये गये है कि किसी खातेदार काश्तकार को किसी विशेष परिस्थितियो में ही स्थगन आदेश से पाबन्द किया जा सकता है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात व साक्ष्य से यह साबित नही कर पाया कि किस विशेष परिस्थितियो के कारण

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावें। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। यदी विवादित आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा बेचान या विशेष भाग पर निर्माण कर लेते है तो विवादित आराजी का बटवारा किये जाने में विलम्ब होगा। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी के उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य किया जाता है, अप्रार्थीगणों को प्रार्थी के मूल वाद के अन्तिम निर्णय होने तक विवादित आराजी खसरा नं0 642 रकबा 0.95 है०, खसरा नं0 667 रकबा 0.80 है० किता 2 रकबा 1.75 है० का हिस्सा 1/72 व खसरा नं0 637 रकबा 0.08 खसरा नं0 638 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 639 रकबा 0.18, खसरा नं0 640 रकबा 0.17 है० खसरा नं0 641 रकबा 0.30 है० किता 5 कुल रकबा 0.84 है० का हिस्सा 1/16 वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर की राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपने हिस्से तक कृषि विस्तार हेतु किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने तक स्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) खैरथल-तिजारा

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner